एआरएआई
ARAI
Progress through Research

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

PUBLIC INTEREST DISCLOSURE & PROTECTION OF INFORMER RESOLUTION, 2004 (PIDPI)

(जनहित प्रकटीकरण एवं सूचनादाता संरक्षण, २००४)

पीआईडीपीआई क्या है?

- पीआईडीपीआई भारत सरकार का एक संकल्प है जिसके अंतर्गत की गयी समस्त शिकायतों में शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।

पीआईडीपीआई के अंतर्गत शिकायत कैसे की जाती है ?

- समस्त शिकायतें मुख्य सतर्कता अधिकारी को संबोधित की जानी चाहिये एवं लिफाफे के ऊपर पीआईडीपीआई (PIDPI) अवश्य अंकित किया जाये।
- शिकायतकर्ता का नाम एवं पता केवल शिकायतपत्र पर अंकित किया जाये, ना कि लिफाफे पर ।

शिकायतकर्ता की पहचान को गोपनीय रखने संबंधी दिशानिर्देश

- यदि शिकायतें शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत रूप से संबंधित है अथवा जो उपरोक्त प्राधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी को संबोधित की गयी हैं तो पहचान के प्रकटन का जोखिम बढ़ जाता है।
- शिकायत हेतु प्रयुक्त लिफाफा खुला न हो तथा शिकायत किसी अन्य सार्वजनिक पोर्टल के माध्यम से न प्रेषित की जाये।
- ऐसे दस्तावेज, जो पहचान प्रकट करते हों, ऊनको शिकायतपत्र के साथ संलग्र न किया जाये अथवा शिकायतपत्र पर अंकित न किया जाये : उदाहरणार्थ सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त दस्तावेज ।
- शिकायत की पुष्टि हेतु शिकायतकर्ता का नाम एवं पता लिफाफे के अंदर रखे शिकायत पत्र पर अंकित होना चाहिए।
- शिकायत/तों को सम्यक पुष्टि के अभाव में बंद कर दिया जाएगा।
- बेनामी / छद्मनामी पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जाएगा ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह २०२३

अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट

https://www.cvc.gov.in देखें